

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या 267B/2015-16

उर्मिला देवी एवं सुकुरमनी महतो बनाम महेश्वर महतो एवं मोतीलाल महतो

:: आदेश ::


दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

5-6-2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता 1. उर्मिला देवी पति श्री सोनाराम महतो, ग्राम-उज्ज्वलपुर, थाना-गम्हरिया 2. सुकुरमनी महतो पति-खिरोद ग्राम-बनकाटी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता 1. महेश्वर महतो 2. मोतीलाल महतो पिता-स्व0 काशीराम महतो, ग्राम-गेगेरुली, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है। अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।